तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/08/23	बनुलाय फरीकैन उप०, उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र (72) पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 01/09/23 को पेश हो। vish
01/09/23	अभिभाषक संघ द्वारा कार्य का बहिष्कार रखा गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/9/23 को पेश हो।
13/09/23	पत्रावली प्रस्तुत हुई, प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा-212 RTA पर दिनांक 27.11.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था कि वे दिनांक 13.12.2019 तक आ० ख० नं० 159/0.76, 160/0.67, 161/0.65, 162/0.51 वाके ग्राम सारंगपुर तहसील नगर पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसके पश्चात आगामी तारीख पेशियों तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रवृत रही। प्रा.पत्र पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की तरफ जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत हुआ। तथा अप्रार्थी संख्या 04 के विरुद्ध दिनांक 10.02.2020 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र पर गत तारीख पेशी को बहस सुनी गई। प्रार्थीगण [illegible] अपने प्रा.पत्र के तथ्यों के [illegible] कथन किया कि उक्त [illegible] के कुणजी के हिस्से में ख० नं० 159/0.76, 160/0.67 दिया गया तथा गोरसायलम के कुणजी के हिस्से ख० नं० 161/0.65, 162/0.51

P.T.O.

vish

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लगातार 13/7/23	दिया गया था जिस पर बुजुर्गान के जमाने से आज तक काबिज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे सायलान एवं गैरसायलान का नाम सम्मलित रूप से आज तक दर्ज अभिलेख है। गैरसायलान ने मौके पर सायलान के हिस्से की आराजीयात पर पहुंचकर सायलान को कब्जे से बेदखल करने के इरादे से दिनांक 20/11/2019 को धमकी दी थी। जबकी गैरसायलान को वास्तविक रूप से सायलान की जायदाद से कोई संबंध नही है, लेकिन गैरसायलान अन्य लोगो के बहकावे मे आकर बिना कब्जा परिवर्तित कर व कराये आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को रहन बय मुंतकिल करने मे सक्षम है जिससे हर प्रकार का नुकसान सायलान को होगा। और उस स्थिति मे सायलान को बेवजह मुकदमेबाजी लडनी पडेगी जिससे आर्थिक व मानसिक क्षति के साथ साथ शारीरिक क्षति स्वभाविक है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन सायलान के हक मे बखूबी साबित है, अतः जारी मुथा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के अंतिम निस्तारण तक संपुष्ट किया जावें।	
	अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कहा कि सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र मे बयान किया है कि [illegible] सेटलमेंट के तहत ख० न० 160/0.67, 159/0.76 बाके ग्राम सारंगपुर तहसील नगर सायलान के बुजुर्गान के हिस्से मे आया था तथा ख० न० 161/0.65, 162/0.51 बाके [illegible] सारंगपुर गैरसायलान के बुजुर्गान के हिस्से मे आया था सायलान का यह [illegible] दोनो के हिस्से मे आये रकबा मे भी 0.27 हैक्टर का अन्तर है जबकि दोनो पक्षकारान व हिस्सा बराबर के सह खातेदार है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र सायलान मात्र झूठ का पुलिन्दा है	

—P.T.O

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
लगातार 13.9.23	इसलिये सायलान का प्रार्थना-पत्र काबिल खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली का समग्र अध्ययन / अवलोकन किया गया इसके उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वि० आ० सायलान व गैरसायलान के सम्मलित कब्जे काश्त खातेदारी की संयुक्त आराजी है यह बिन्दु मूल वाद के निस्तारण मे तय होगा कि कौनसी - आराजी किसके हिस्से की आराजी है। विवादित आराजी अविभाजित है इस प्रकार यह उचित प्रतीत होता है कि वाद के अंतिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा को संपुष्ट किया जावें। अतः आदेश है कि दिनांक 27.11.2019 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक संपुष्ट किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। sd/- (विष्णु बंसल)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:34 IST
Reason: SelfAttested